

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रांक. ६ (३९) राज-६/८५ पार्ट / २


जयपुर दिनांक:- ७.२.११

शासन संभागीय, आयुक्त
राजस्थान
शमरत जिला कलेक्टर
राजस्थान

परिपत्र


राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले भूमियाँ कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत तालाब पेटा भूमि का गैर खातेदारी अधिकार पर अस्थाई रूप से आवंटन किये जाने का प्रावधान है। राज्य में व्याप्त जल संकट के मध्यनजर विभागीय रांगसर्ख्यक परिपत्र दिनांक 31.08.2010 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले भूमियाँ कृषि हेतु आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत पेटा काशत हेतु भूमि का आवंटन नहीं किया जाये।

उक्त परिपत्र के कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नदियों के पेटे गो शिथत भूमियों पर कृषकों को केवल फसल बोवे की अनुमति प्रदान की जा सकती है। क्योंकि इसमें किसी भी तालाब तले से जल की निकासी की संभावना नहीं है।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. समरत उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. राजित पत्रायली।


उप शासन सचिव